VIII

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–प0नि0 30–39/2017 1907

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
रोहतास।

पटना, दिनांक–22.04.24

विषय :– अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव में वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 622 दिनांक 02.03.2024 एवं पत्रांक 773 दिनांक 19.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि **संझौली प्रखंड के ग्राम पंचायत उदयपुर के उप मुखिया एवं प्रखंड अकोढ़ीगोला ग्राम पंचायत बरूना के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना में कारण/आरोप अंकित नहीं है, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4) (2) के अनुरूप नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
22/4/24
सचिव।

22.4.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847. E-mail: secbihar@gmail.com